दैनिक
सचएक्सप्रेस
सत्यम् सदैव सुन्दरम् ...

दहेज प्रताड़ना से तंग तीन नवविवाहिताओं की खुदकुशी पर पतियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

शादी के बाद से ही पति दहेज के लिए अपनी पत्नी पर दबाव बनाने लगा था। वह उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दे रहा था। रोजाना की प्रताड़ना से परेशान होकर उसके महिला ने खुदकुशी कर ली। जांच में यह बात सामने आने के बाद कोलार पुलिस ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया है। इसी इलाके में एक और नवविवाहिता द्वारा खुदकुशी करे के मामले में भी पति व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय संगीता कपाड़िया ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने मर्ग कायम किया। नवविवाहिता का मामला होने के कारण जांच एसीपी द्वारा की गई।

जांच में पता चला कि शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। दहेज न लाने पर पति छोटू कपाड़िया उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करता था। वहीं दूसरी घटना में 23 वर्षीय पूजा मौर्य ने पति अजय मेवाड़ा की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली। दोनों मामलों में भी पुलिस ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। एमपी नगर इलाके में भी पिछले दिनों एक नवविवाहिता ने खुदकुशी की थी। जानकारी के अनुसार एमपी नगर में रहने वाली 25 वर्षीय फरहा खान ने 16 जून को अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। मामले की जांच कर रहे एसीपी अक्षय चौधरी के अनुसार, फरहा का पति आमिर उसे लगातार मायके से पैसे लाने के लिए दबाव डालता था। घटना वाले दिन भी आमिर ने फरहा को मायके भेजा था। जब वह पैसे नहीं ला सकी तो तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। फरहा की मौत के बाद परिजनों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आमिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

शादी का झांसा देकर युवती से किया रेप

भोपाल। प्राइवेट जॉब करने वाली युवती अपने दोस्त के माध्यम से एक युवक के संपर्क में आई। युवक उसे घुमाने के बहाने अपने घर ले गया तथा वहां पर उसने युवती के साथ ज्यादती की। बाद में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने लगा। पिछले दिनों उसने शादी से मना कर दिया तो युवती ने मामले की शिकायत पुलिस को कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय युवती मूलतः बैतूल जिले की रहने वाली है। भोपाल में वह प्राइवेट जॉब करती है तथा मिसरोद इलाके में रहती है। चार साल पहले एक दोस्त के माध्यम से वह सूरज इनवाती नाम के युवक के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं तो सूरज उसे घुमाने के बहाने अपने घर ले गया। यहां पर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में शादी का झांसा देकर उसने युवती का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। बाद में उसने युवती को साथ में लिवइन रिलेशन में साथ में रहने के लिए भी राजी कर लिया। साथ में रहने के दौरान वह उसका शोषण करता रहा। युवती जब भी शादी की बात कहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता था। पिछले दिनों जब उसने शादी करने का दबाव डाला तो युवक ने कहा कि उसके घर वाले दूसरे समाज की लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए वह शादी नहीं कर सकता। युवक के इंकार के बाद युवती ने मामले की शिकायत मिसरोद थाने में कर दी। पुलिस ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बैरसिया में दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर,आरोपी युवक गिरफ्तार

भोपाल। बैरसिया इलाके में एक युवती ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस जब बयान लेने पहुंची तो युवती ने बताया कि गांव के ही युवक ने उसका शारीरिक शोषण करने के बाद शादी करने से मना कर दिया है। उसके मना करने के बाद गांव का ही एक अन्य उसके कुछ वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहा है। पुलिस ने बताया कि 21 वर्षीय युवती बैरसिया इलाके के एक गांव में रहती है। तीन साल पहले पढ़ाई के दौरान उसकी दोस्ती गांव के ही एक युवक से हो गई थी। दोस्ती जब प्रेम-प्रसंग में तब्दील हुई तो युवक ने शादी करने झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इस युवक ने धमकाते हुए कहा कि अगर उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो वह वीडियो व फोटो वायरल कर देगा। उसकी धमकियों से परेशान होकर ही युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने इस मामले में युवती के पूर्व प्रेमी मनोज रैकवार के खिलाफ दुष्कर्म तथा संजय जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया है।

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर समन्वय भवन में सहकारी युवा संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री विश्वास सारंग अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल सहित अन्य अधिकारी और महाविद्यालयीन विद्यार्थी मौजूद थे। इस अवसर पर डा. यादव ने उनसे संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

बारिश से तरबतर हुआ शहर

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

स्ट्रॉन्ग बारिश का सिस्टम के एक्टिव होने से मध्यप्रदेश में बाढ़ के हालात हैं। नरसिंहपुर में शनिवार सुबह स्टेट हाईवे-22 पर पुलिया धंस गई, जिससे रास्ता बंद हो गया। जिले में रस्सी के सहारे लोग शक्कर नदी पार कर रहे हैं। वहीं, डिंडौरी में जबलपुर-अमरकंटक नेशनल हाईवे पर खेत की मिट्टी बहकर आ गई। यहां वाहन कीचड़ में फंस रहे हैं।

शिवपुरी में बैराड के कई गांवों में बाढ़ आ गई है। घरों में पानी भर गया है। जोराई गांव में सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। श्योपुर जिले के बेनीपुरा गांव में क्वारी नदी का पानी गांवों में घुस गया है। यहां करीब 20 घरों में पानी भर गया, जिससे गृहस्थी का सामान खराब हो गया। ग्रामीणों को काफी नुकसान हुआ है। आज जबलपुर, विदिशा समेत 7 जिलों में भारी बारिश जारी रहने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने विदिशा, सागर, अशोकनगर, नरसिंहपुर, रायसेन, जबलपुर, मंडला में आकाशीय बिजली चमकने या गिरने के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। साथ ही श्योपुर, गुना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, राजगढ़, दमोह, सिवनी, टीकमगढ़, निवाड़ी, डिंडौरी में मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। दूसरी ओर, बैतूल, देवास, शिवपुरी, भोपाल, सीहोर, नीमच, मंदसौर, मुरैना, कटनी, शहडोल, अनूपपुर,

मंत्री गौर की फटकार के बाद कार्रवाई पटेल नगर के कॉलोनाइजर पर एफआईआर कराएगा निगम

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

भोपाल के रायसेन रोड स्थित पटेल कॉलोनी के कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर होगी। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर की नाराजगी के बाद नगर निगम ने पिपलानी थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है।

कॉलोनाइजर ने निगम के प्लॉट ही बेच दिए। दूसरी ओर, लोगों को सुविधाएं भी नहीं दीं। 2 जुलाई को मंत्री गौर ने मंत्रालय में बैठक ली थी। इसमें बताया गया था कि पटेल नगर कॉलोनी में स्कूल, खेल मैदान, पार्क आदि के लिए छोड़े गए भू-खंडों को नगर निगम के लिए सौंपने के स्थान पर कॉलोनाइजर ने बेच दिया। नगर निगम के स्वामित्व के इन भू-खंड को बेचने का अधिकार कॉलोनाइजर को नहीं है। कॉलोनाइजर द्वारा किया गया यह कृत्य आपराधिक है। इसके बाद मंत्री गौर ने नगर निगम के अधिकारियों को कॉलोनाइजर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

सिटी प्लानर ने थाने में आवेदन दिया

मंत्री गौर की नाराजगी के बाद सिटी प्लानर अनूप गोयल ने पिपलानी थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया। इसमें बताया कि सेक्टर-बी, डी और ई में 1.25 एकड़ के हिसाब से कुल 3.75 एकड़ जमीन प्रायमरी स्कूल के लिए आरक्षित की गई थी। 16 जून 1962 में एसडीएम हुजूर के डायवर्सन के अनुसार, स्कूल, पार्क व खुले स्थानों की भूमि स्थानीय निकाय में समाहित होगी। इस प्रकार मेसर्स गंधर्व लैंड एवं फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और निगम के बीच एग्रीमेंट भी हुआ था। जिसमें निगम के आधिपत्य में सदैव खुली भूमि, पार्क, स्कूल, दवाखाना, खेल मैदान, सड़क आदि का आधिपत्य और स्वामित्व निगम का रहेगा। बावजूद कॉलोनाइजर अनुज ग्रोवर और संबंधित कंपनी ने ई ब्लॉक में अवैध रूप से निगम स्वामित्व की प्रायमरी स्कूल की 1.212 एकड़ जमीन जय प्रताप सिंह यादव एवं अभिषेक आनंद को 3 करोड़ 90 लाख रुपए में 27 नवंबर-24 को बेच दी, जो कानूनन सही नहीं है। इसलिए कॉलोनाइजर पर केस दर्ज किया जाए। मंत्री गौर ने अफसरों से कॉलोनाइजर द्वारा विक्रय किए गए भू-खंड की रजिस्ट्री को शून्य कराने की प्रक्रिया भी शुरू करने को कहा है। साथ ही कॉलोनाइजर अन्य ओपन एरिया को विक्रय नहीं कर सके, इसकी व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए हैं। पटेल नगर कॉलोनी 1960 के दशक में विकसित की गई थी। इसमें 700 से अधिक प्लाट हैं।

ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को लेकर हुई सुनवाई के बाद आज कांग्रेस ने मोहन यादव सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इसे टाल रही है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी इसके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में जानकारी नहीं दे रही है। आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सचिन यादव और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने इस मामले में मीडिया से चर्चा में सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें लांघ दी हैं। म.प्र. सरकार ने ओ.बी.सी. वर्ग को अपना हक ना मिले इसके लिए संविधान के मूल ढ़ाचा से भी खिलवाड़ कर रहे है। संविधान में यह विदित है कि विधायिका के बनाए हुए कानून को अक्षर सह पालन कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है परंतु कार्यपालिका अपने दायित्व को निभाही नहीं रही है माननीय उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को पैरों तले रौंदते हुए, मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ओबीसी भाइयों-बहनों को उनके 27% आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का सबसे घिनौना और क्रूर चेहरा है, जो लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय की हत्या कर रही है! बीजेपी की यह साजिश मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को गुलाम बनाए रखने और उनके भविष्य को तबाह करने की है-यह अब बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि मामला किसी न किसी कोर्ट में विचाराधीन रहे और उसका बहाना बनाती रहे। यहाँ यह बताना जरूरी है कि विधायिका के बनाई कानून पर किसी भी तरिके से कानूनी रोक रही है।

मोहर्रम के जुलूस में शामिल करने के लिए मंगलवारा में किन्नरों द्वारा ताजिए सजाए जा रहे हैं।

गंदे पानी की समस्या को लेकर महापौर को लिखा पत्र

भोपाल। भोपाल के कई इलाकों में गंदे और बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है। इसे लेकर पार्षदों के पास भी शिकायतें पहुंच रही हैं। ऐसे में बीजेपी पार्षद पप्पू विलास राव घाड़गे ने महापौर मालती राय को लेटर लिखा है। जिसमें पानी के पीने योग्य नहीं होने की बात भी कही गई है।पार्षद घाड़गे ने बताया कि पानी गंदा, बदबूदार और मटमैला आ रहा है। जिसमें सुधार करने के लिए महापौर को पत्र लिख कार्रवाई का आग्रह किया गया है। पार्षद घाड़गे ने लेटर में बताया कि नर्मदा लाइन की पाइप लाइन से वार्ड-34 के जहांगीराबाद एवं आसपास के इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है। जहां कई दिन से बदबूदार पानी आ रहा है, जो पीने के योग्य नहीं है। इसे पीने से बीमारियां हो सकती हैं।

कर्मचारी मंच कल तैयार करेगा 9 सूत्रीय ज्ञापन

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच 6 जुलाई की बैठक में प्रदेश के अनियमित कर्मचारियो के हित की 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तैयार करेगा।

बैठक में शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय विभाग के समस्त स्थाई कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वाहन चालक सुरक्षा श्रमिक अंशकालीन कर्मचारी अपना मांग पत्र प्रस्तुत करेंगे बैठक की अध्यक्षता मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे करेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि राज्य सरकार अनियमित कर्मचारियो के अधिकारों में निरंतर कटौती करती जा रही है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी न्यायालय आदेशों का लाभ अनियमित कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है श्रम अधिकारों का लाभ भी अनियमित कर्मचारियों को राज्य सरकार नहीं दे रही है नौकरशाही अनियमित कर्मचारियों का शोषण कर रही है अनियमित कर्मचारियों को ना तो समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही अन्य सुविधाओं का लाभ नौकरशाही दे रही है जिस कारण अनियमित कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण प्रदेश भर में निर्मित हो गया है 6 जुलाई को अनियमित कर्मचारी मजबूत रणनीति तैयार करके राज सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लेंगे।

टीआई की कार को टैंकर ने मारी टक्कर

भोपाल। बिलखिरिया थाना प्रभारी की कार को आज सुबह एक तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। हादसे में थाना प्रभारी के सिर में चोट आई है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया है। निशातपुरा थाना प्रभारी रूपेश दुबे ने बताया कि बिलखिरिया थाना प्रभारी उमेश चौहान शनिवार की सुबह केन्द्रीय जेल रोड होते हुए थाने जा रहे थे। करोंद चौराहे से ठीक पहले उनकी कार को एक तेज रफ्तार टैकर ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद चालक टैंक को लेकर भाग निकला। जानकारी के अनुसार टैंकर एक पेट्रोलियम कंपनी का था। घायल होन पर उमेश चौहान को पीपुल्स अस्पताल ले जाया गया। उनके सिर में चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद निशातपुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

माखनलाल में नए कुलगुरु आने के बाद से बदलाव

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (एमसीयू) में नए सत्र 2025-26 की शुरुआत के साथ कई बदलाव भी शुरू हो गए। दअरसल विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी विश्वविद्यालय को पूरी तरह अपडेट करना चाहते हैं। उन्होंने कई विभाग के विभाग अध्यक्षों को बदल दिया है, तो कुछ को पद से मुक्त भी कर दिया है। वहीं कई काम करने वाले प्रोफेसरों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सत्र के शुरुआत के दौरान हुई बैठक में उन्होंने कहा कि छात्रों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने जोर देना होगा। अंतिम वर्ष के छात्रों की अप-स्किलिंग प्राथमिकता होगी। इसी के साथ सिलेबस अपडेट किए जाएंगे, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व साइबर सिक्योरिटी जैसे नए विषय जोड़े जाएंगे। इसके लिए सभी विभागों को एक माह में समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सभी कोर्स के विद्यार्थियों के लिए संयुक्त रूप से हर महीने दो वर्कशॉप होंगी, जिनमें देशभर के विषय विशेषज्ञ शामिल किए जाएंगे। कुलगुर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस सत्र में हर काम तय योजना और टाइमलाइन के साथ होने चाहिए। विवि पूर्व छात्रों को जोड़ेगा। गेस्ट फैकल्टी को लेकर कहा गया है 10 जुलाई तक भर्ती कर लिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों के पढ़ाई में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

जानकारी के अनुसार फैकल्टी को कहा गया है कि स्टूडेंट्स की उपस्थिति में ढील नहीं दी जाएगी। सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों का 15 दिनों में रजिस्ट्रेशन कराकर शुरुआत से ही मॉनीटरिंग की जाएगी। एक गोपनीय स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके आधार पर एके मिक माहौल डेवलप करने जरूरी कार्रवाई भी की जा सकेगी। वीसी ने कहा कि पिछले वर्ष हमने सौ से अधिक विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित किया, क्योंकि वे आदतन अनुपस्थित थे। इस वर्ष हम चाहेंगे कि कक्षा इतनी प्रभावशाली हो कि अनुपस्थिति का कोई कारण ही न बचे। पहले इंटरनल एग्जाम से सख्ती की जाए।

अग्रसेन महाराज की 16वीं महाआरती कल

भोपाल। अग्रकुल प्रवर्तक एवं अग्रवाल समाज के आराध्य देव भगवान श्री अग्रसेन महाराज जी और कुलदेवी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से भोपाल में माह के प्रथम रविवार को महाआरती करने का जो संकल्प लिया गया था, जिसका क्रम निरंतर जारी है।

सोलहवीं महाआरती कल सायं 6 बजे भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष, आईटीसी पार्क, कमला पार्क के सामने, भोपाल में आयोजित होगी। महाआरती की जजमानी मारवाड़ी अग्रवाल समाज (महिला मण्डल), न्यू मार्केट, भोपाल के द्वारा की जा रही है। आयोजन कर्ताओं ने सभी अग्रबंधुओ से आग्रह किया है कि सपरिवार महाआरती में शामिल होकर भगवान श्री अग्रसेन महाराज जी का आशीर्वाद ग्रहण करें।

घोटाले में खुद को बचाने में जुटे अधिकारी

सच प्रतिनिधि ।। भोपाल

मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में सामने आया छात्रवृत्ति घोटाला अब गंभीर सवालों के घेरे में है। यह घोटाला केंद्र सरकार की ओर से उजागर हुआ है, जिसने विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा था।

लेकिन हैरानी की बात यह है कि विभागीय अधिकारियों ने इस पूरे घोटाले को जालसाजी का मामला बताकर भोपाल क्राइम ब्रांच में स्नङ्कक्र दर्ज कराई है, जिससे संदेह गहराता जा रहा है कि कहीं यह कदम खुद को बचाने की कोशिश तो नहीं? केंद्र सरकार ने 11वीं और 12वीं के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना में अनियमितता पाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे मदरसों और स्कूलों को छात्रवृत्ति दी गई, जिनकी मान्यता केवल 10वीं कक्षा तक थी। बावजूद इसके इन संस्थानों में 11वीं और 12वीं के नाम पर 1100 से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति जारी की गई। कुल राशि करीब 57 लाख 78 हजार रुपये है।

भोपाल में ही उजागर हुए इतने गड़बड़ी, बाकी जिलों पर भी संदेह

भोपाल जिले में ही केंद्र सरकार ने 1000 से ज्यादा अपात्र छात्रों की सूची जारी की है, जबकि विभाग ने क्राइम ब्रांच को 972 छात्रों की जानकारी दी। इसी तरह, केंद्र की रिपोर्ट में 83 संस्थान, जबकि विभाग की सूची में केवल 44 संस्थानों को संदिग्ध बताया गया। इससे यह आशंका और गहराती है कि विभागीय अधिकारी कुछ संस्थानों और कर्मचारियों को बचा रहे हैं।

जांच में संदेह के घेरे में विभागीय अधिकारी

क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में कुछ विभागीय अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। जानकारों का मानना है कि यह केवल जालसाजी नहीं, बल्कि सरकारी राशि का दुरुपयोग है, यानी यह स्पष्ट रूप से घोटाला है। सामान्यतः इस तरह के आर्थिक अपराधों की जांच ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) से कराई जाती है, लेकिन विभाग ने मामला पुलिस को सौंप दिया। यह कदम भी संदेह को बढ़ाता है।

इन शिक्षण संस्थानों की भूमिका संदिग्ध

इस मामले में जिन मदरसों और निजी स्कूलों की भूमिका पर संदेह जताया गया है, उनमें शामिल हैं: एमएस आसिफ सईद उर्दू, हनीफ सर मैथ्यू अर्नाल्ड (करोंद), न्यू म.ज. कन्वेंट स्कूल (बैरसिया), सेंट देसूजा कॉन्वेंट (कमला पार्क), सिटी मोंटेसरी स्कूल (जहांगीराबाद), न्यू एससीबी कॉन्वेंट (अशोका गार्डन), एम. अरबिया अमीरुल इस्लाम, एम. दीनियत अयशुल उलुम, मदरसा अहद तालीमुल कुरान (बाग दिलकुशा), मदरसा ऐमन दीनी (भोईपुरा), मदरसा बुशरा दीनी (ईटखेड़ी) और अन्य। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को सालाना 5700 की राशि दी जाती है। यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत आती है। इस योजना के तहत छात्रों की पात्रता और संस्थानों की मान्यता को लेकर अनदेखी कर अपात्र छात्रों को लाभ दिया गया।

सच मीडिया पब्लिकेशन प्रा.लि. के लिए प्रकाशक/मुद्रक/संपादक सिकंदर अहमद द्वारा श्री बालाजी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 21, सेक्टर-एच, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, भोपाल, 462023 (म.प्र.) से मुद्रित एवं प्लॉट नं. 192, एवीएन टॉवर, जोन-1, एम.पी. नगर भोपाल-462011 से प्रकाशित।
सलाहकार सम्पादक : अशोक तरंगी, प्रबंध संपादक : उज़्मा सिकंदर। समाचार संपादक : चरण सिंह चौहान * समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार। सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा। आर.एन.आई. रजि. MPHIN/2012/42117, डाक पंजीयन म.प्र./भोपाल/4-460/2024-26, Mail-ID sachexpress013@gmail.com फोन नं. :- 0755-4212853